

परियोजना का नाम:-

सौंग-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11/05/18 को सौंग-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी०बी०मर्तेलिया राजस्व विभाग की ओर से श्री एस०एम०राणा सिंचाई खण्ड की ओर से श्री सुरेश चन्द्र रावत (A.E.) खनन विभाग की ओर से श्री डा०पी०एच० हज्वाल प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री इन्द्रसिंह नेगी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 202 है०, सिविल स्वयं वन भूमि ^ है०, वन पंचायत भूमि ^ है० एवं नाप भूमि x है० प्रभावित हो रही है। सौंग-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/सरेख्या को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। सौंग-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से कौणलपनी, मैज-सैली, नत्पुबला, बालाबलगाँव व नवरोड़ा जनसंख्या लाभान्वित होगी।

सौंग-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

(इन्द्रसिंह नेगी)
प्रभागीय लॉगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

(एस०एम०राणा)
तहसीलदार
देहरादून

(अशोक)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

(श्रीशपाल)
क्षेत्रीय उपराजस्व निरीक्षक
सौंग-सैली

(उपनिदेशक)
जिला खान अधिकारी
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
देहरादून

(रमेश कुमार)
क्षेत्रीय उपराजस्व निरीक्षक

(अशोक)

(इन्द्रसिंह नेगी)

परियोजना का नाम:-

सौंग-2 थानों रेंज में उपखनिज चुगान

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11/05/18 को सौंग-2 थानों रेंज में उपखनिज चुगान के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी०बी० अर्तेलिया राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेश चन्द्र रावत खनन विभाग की ओर से श्री डा० दीपक हजवान प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री इन्द्र सिंह जी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 136.85 है०, सिविल स्वयं वन भूमि x है०, वन पंचायत भूमि x है० एवं नाप भूमि x है० प्रभावित हो रही है। सौंग-2 थानों रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/सरेख्या को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। सौंग-2 थानों रेंज में उपखनिज चुगान कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से कालूवाला, बगवाला, झाला, बौवाला गाँव व मान्तरी जनसंख्या लाभान्वित होगी।

सौंग-2 थानों रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

(इन्द्र सिंह जी)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

ह
तहसीलदार
डोईवाला

अ
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

अ
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

सुरेश चन्द्र रावत
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

अ

अ
जिला खान अधिकारी
देहरादून।

अ
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

परियोजना का नाम:-

सौंग-3 लच्छीवाला रेंज में उपखनिज चुगान

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11/05/18 को सौंग-3 लच्छीवाला रेंज में उपखनिज चुगान के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी.बी.मर्तोलीया राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेश रावत खनन विभाग की ओर से श्री डा.वी.प. ड.काल प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री इन्द्र सिंह नेगी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 93.5 है0, सिविल स्वयं वन भूमि है0, वन पंचायत भूमि है0 एवं नाप भूमि है0 प्रभावित हो रही है। सौंग-3 लच्छीवाला रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/सरेख्या को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। सौंग-3 लच्छीवाला रेंज में उपखनिज चुगान कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से मोटेहपुर, बोराड़ा, पालबस्ती, रवता, धुर्गोचर गाँव व पुष्पाबस्ती जनसंख्या लाभान्वित होगी।

सौंग-3 लच्छीवाला रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

तहसीलदार
डोईवाला

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

अधिसूत्री (अभियन्ता)
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

(सुरेश रावत)
सदस्य अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

उपनिदेशक
जिला खान अधिकारी
देहरादून।

उप जिलाधिकारी
डोईवाला

परियोजना का नाम:-

जाखन-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11/05/18 को जाखन-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी.बी. अर्जुन राजस्व विभाग की ओर से श्री उ.गो.व. सिंचाई खण्ड की ओर से श्री एस.के. अग्रवाल खनन विभाग की ओर से श्री डा. डी.प्र. देवा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री इ.ए. सिंह नेगी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 99.95 है०, सिविल स्वयं वन भूमि है०, वन पंचायत भूमि है० एवं नाप भूमि है० प्रभावित हो रही है। जाखन-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/ सरेख्या को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। जाखन-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से रानीपोखरी, बोगपुरा, मैन्डवस्ती, शान्तिनगर गाँव वजनसंख्या लाभान्वित होगी।

जाखन-1 थानों रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

(इ.ए. सिंह नेगी)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

तहसीलदार
ऋषिकेश

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

(अ.ए. सिंह)
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

(बलदेव सिंह राणा)
क्षेत्रीय सहायक उप निरीक्षक
रानीपोखरी

(उप निरीक्षक)
जिला खान अधिकारी
देहरादून।

(अ.ए. सिंह)
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

परियोजना का नाम:-

जाखन-2 बड़कोट रेंज में उपखनिज चुगान

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11/05/18 को जाखन-2 बड़कोट रेंज में उपखनिज चुगान के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी०बी०मर्तोलिए राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेश रावत खनन विभाग की ओर से श्री प्र० दीपक हजवाल प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री इन्द्रसिंह नेगी द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि 96.5 है०, सिविल स्वयं वन भूमि x है०, वन पंचायत भूमि x है० एवं नाप भूमि x है० प्रभावित हो रही है। जाखन-2 बड़कोट रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/सरेख्या को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। जाखन-2 बड़कोट रेंज में उपखनिज चुगान कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से माप्सी, लातापड़ा, अरुवाल, गुनारख, धमडुवा गाँव वजनसंख्या लाभान्वित होगी।

जाखन-2 बड़कोट रेंज में उपखनिज चुगान हेतु आवेदित वन भूमि में वृक्षों का पातन नहीं किया जाना है।

(इन्द्रसिंह नेगी)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक (खनन)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
देहरादून

de
तहसीलदार
डोईवाला
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग

de
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड,
देहरादून

(सुरेश रावत)
संयुक्त अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, देहरादून

de
उपनिदेशक
जिला खान अधिकारी
देहरादून।

de
उप जिलाधिकारी
डोईवाला